

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का

बहक

श्री श्रवणराम

पुत्र श्री हुक्माराम

जाति जाट

नि ललाणारबुर्द

मुकदमा नं. 08 / 2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 23/08/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम ललाणारबुर्द खसरा नम्बर 123
रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म गै.सू.गौचर (राजकीय भूमि) पर संवत् 2074 में श्री श्रवणराम
पुत्र श्री हुक्माराम जाति जाट फसल स्वरीफ निवासी ललाणारबुर्द (जिसे
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा चाराडालकर बाड़कर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का
अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण
दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिश जारी कर तलब किया
गया। तलबी पर अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम ललाणारबुर्द
ख.न. 123 रकबा 0.0200 किस्म गौचर पर संवत् 2074 में बिना विधिक
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर चाराडालकर बाड़कर कर अतिक्रमण किये
जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-


(1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 5/- प्रति हे. का 50 गुणा रूपया 1.00
(रूपये एक रूपया) शास्ति
कायम की जाती है।

निर्णय की
क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का चिताई भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट
एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/08/2017 का सरे इजलास सुनाया।


नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)
जिला-नागौर (राज.)